रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2008/फाल्गुन 15, 1929
No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2008/PHALGUNA 15, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2008

अंतिम जांच परिणाम

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : पाटनरोधी जांच (निर्णायक समीक्षा) जिसमें जापान और चीनी ताईपेई से पेन्टायरीथ्रीटॉल के आयात शामिल हैं ।

सं. 15/7/2006-डीजीएडी.—1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण अथवा उन पर अतिरिक्त शुल्क लगाना तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतद्पश्चात् नियमावली कहा गया है);

क. मामले की पृष्ठभूमि :

(i) जबकि, उपर्युक्त नियमावली को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने दिनांक 22 नवम्बर, 2001 को पाटनरोधी जांच शुरू की थी और प्राधिकारी ने अपने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 8-10-2002 के अधिसूचना संख्या 48/1/2001 द्वारा अधिसूचित किए थे । राजस्व विभाग ने दिनांक 31-10-2002 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 119/2002 द्वारा चीनी ताईपेई, कनाडा और जापान से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया था ।

(ii) और जबकि उक्त अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा यथा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित याचिका के आधार पर जिसमें आगे और 5 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क को लागू रखने का अनुरोध किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह जांच करने कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहेंगे अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी, दिनांक 15 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 15/07/2006-डीजीएडी द्वारा उक्त उपाय के विरुद्ध एक निर्णायक समीक्षा प्रक्रिया शुरू की थी । निर्णायक समीक्षा चीनी ताईपेई और जापान के विरुद्ध शुरू की गई थी क्योंकि घरेलू उद्योग ने इन आधारों पर कनाडा को बाहर रखने का प्रस्ताव किया था कि वहां अब संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा रहा था ।

यह जांच 1 अप्रैल, 2005 से 31 सितंबर, 2006 (जांच अवधि) तक की अवधि में की गई थी । क्षति संबंधी जांच वर्ष 2002-03 से जांच अवधि तक की अवधि के लिए किया गया था ।

ख प्रक्रिया:

1. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है :

(i) समीक्षा की शुरूआत के बाद प्राधिकारी ने नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजी थीं ताकि संगत सूचना प्राप्त की जा सके ।

(ii) नियमावली के अनुसार भारत में घरेलू उद्योग से संगत सूचना की मांग करते हुए नोटिस भेजे गए थे ।

(iii) नियम 6(2) के अनुसार जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के बारे में नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावास को सूचित किया गया था और इसे उनके देश में निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का आग्रह करने का अनुरोध किया गया था ।

(iv) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और उपभोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी गई थी ।

(v) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था ।

(vi) व्यापक प्रसार के लिए जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां फिक्की, सीआईआई और एसोचेम को भेजी गई थीं ।

(vii) किसी भी निर्यातक/उत्पादक अथवा आयातक ने प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं दिया ।

(viii) घरेलू उद्योग होने के नाते मै. कनोरिया केमिकल एंड इंडस्ट्रीज ने सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए ।

(ix) प्राधिकारी ने उठाई गई क्षति की जांच करने, उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु को बनाने और बेचने की लागत ज्ञात करने के लिए सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन किया था ताकि यह सुनिश्चित किया

जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(x) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों को मौखिक रूप से सुनने के लिए दिनांक 5.11.2007 को एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की थी जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था । सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पक्षों से प्राप्त लिखित अनुरोधों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया था ।

(xi) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को सभी हितबद्ध पक्षों के लिए अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया था ।

(xii) जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना, सार्वजनिक सुनवाई के बाद और प्रकटन विवरण के उत्तर में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर संगत पैराग्राफों में नियमों के अनुसार उनके प्रासंगिक होने और इस मामले से उनके संबंधित होने की सीमा तक चर्चा की गई है । हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों की जांच की गई है, उन पर विचार किया गया है और जहां उचित हो, संगत पैराग्राफों में उन्हें दर्शाया गया है ।

(xiii) यह जांच दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से सितंबर, 2006 तक की जांच अवधि (पीओआई) में की गई थी । तथापि, क्षति संबंधी विश्लेषण वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 तथा जांच अवधि के लिए किया गया है ।

(xiv) प्रकटन विवरण दिनांक 13 फरवरी, 2008 को जारी किया गया था और सभी पक्षकारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को उनके विचारों से अवगत कराने की सलाह दी गई थी । तथापि, घरेलू उद्योग को छोड़कर किसी भी हितबद्ध पक्ष ने अपनी टिप्पणियां नहीं प्रस्तुत की थी । अपनी टिप्पणियों में घरेलू उद्योग ने अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया और निर्दिष्ट प्राधिकारी से आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया है ।

(xv) इस अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना और पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को प्रदर्शित करता है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

2. मूल जांच में शामिल उत्पाद पेन्टायरीथ्रीटॉल है । चूंकि यह निर्णायक समीक्षा है इसलिए इस जांच में मूल जांच में शामिल उत्पाद शामिल है ।

3. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में यथापरिभाषित उत्पाद है, वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद जापान और चीनी ताइपेई के मूल का अथवा वहां से निर्यातित पेन्टायरीथ्रीटॉल (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु अथवा पेन्टा भी कहा गया है) है । पेन्टायरीथ्रीटॉल का अनुप्रयोग एल्काइड रेजिन, रोजिन एस्टर्स, प्लास्टिसाइजर्स, छपाई की स्याही, कृत्रिम रबड़, प्लास्टिक हेतु स्थिरीकारक, मोडीफाइड ड्राइंग आयल्स, डिटोनेटर, विस्फोटक, भेषज, कोर तेलों और सिंथेटिक लुब्रीकेन्ट्स के विनिर्माण में किया जाता है ।

4. पेन्टायरीथ्रीटॉल सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमाशुल्क उप-शीर्ष सं. 2905.42 के तहत वर्गीकृत है । तथापि, यह वर्गीकरण मात्र सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है ।

5. संबद्ध देश से आयात किये जा रहे उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कोई अंतर नहीं है । प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि नियम 2(घ) के अनुसार याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु समान वस्तु हैं ।

घ. घरेलू उद्योग

6. घरेलू उद्योग के कार्यक्षेत्र के संबंध में, याचिकाकर्ता देश में संबद्ध उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है । याचिकाकर्ता के अलावा, संबद्ध वस्तु का उत्पादन एशियन पेन्ट्स (इंडिया) लि. और परस्ट्राप एजीज केमिकल्स (पी) लि. द्वारा किया जा रहा है । यद्यपि एशियन पेन्ट्स वस्तुओं का उत्पादन प्राथमिक रूप से आबद्ध खपत के लिए करते हैं, तथापि उन्होंने संगत अवधि में भारतीय बाजार में कुछ बिक्रियां भी की हैं । परस्ट्राप केमिकल्स ने इस याचिका का समर्थन किया है । तथापि, कंपनी ने क्षति/लागत निर्धारण संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की है । कंपनी ने पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का विरोध नहीं किया है । प्राधिकारी मानते हैं कि नियमों के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग है ।

ङ समीक्षा की शुरूआत और दिए गए तर्क

आवेदक घरेलू उद्योग के विचार

7. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पेन्टाएरीथ्रीटॉल पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देश से पाटन जारी है । आयातों की मात्रा और वह कीमत जिस पर इन वस्तुओं का भारत को निर्यात किया जा रहा है, को देखते हुए यह आशंका है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो आयातों की मात्रा में वृद्धि होगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन और स्वीडन के विरूद्ध इस उत्पाद हेतु समानांतर जांच के मामले में यह पाया था कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2004-05 में क्षति हुई थी । चीन और स्वीडन से पाटन के प्रभाव के कारण जांच अवधि तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार नहीं हुआ था । घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक है और पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग क्षति के प्रति संवेदनशील है ।

अन्य हितबद्ध पक्षों के विचार

इंडियन पेन्ट्स एसोसिएशन ने पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तार के विरूद्ध अपने अनुरोध प्रस्तुत किए हैं । पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का विरोध करते हुए एसोसिएशन ने तर्क दिया है कि इन देशों से आयातों की मात्रा काफी कम है और घरेलू उद्योग मांग को पूरा नहीं कर सकता है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

8. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों को नोट किया है और संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति का विश्लेषण करते समय इन पर विचार किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीनी ताइपेई से आयातों की मात्रा कम नहीं है । इसके अलावा, वर्तमान जांच चूंकि निर्णायक समीक्षा जांच है, इसलिए क्षति की संभावना भी समान रूप से महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मांग को पूरा न कर पाने की घरेलू उद्योग की अक्षमता के कारण पाटन कानूनों के अंतर्गत उपचार की मांग करने से उसे रोका नहीं जा सकता है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क के विस्तार का विरोध करते समय इंडियन पेन्ट्स एसोसिएशन ने न तो संबद्ध देश से कम आयातों के अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है और न ही जांच अवधि के दौरान अपने आयातों के ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं ।

च. पाटन का निर्धारण : सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

1.1 घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए थे :-

चीनी ताइपेई और जापान ने सामान्य मूल्य का अर्थ व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में चीनी ताइपेई और जापान के घरेलू बाजार में पेन्टायरीथ्रीटाल की कीमत है । उस कीमत के के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे, जिस पर चीनी ताइपेई और जापान के घरेलू बाजार में उत्पादकों/व्यापारियों द्वारा इस सामग्री को बेचा जा रहा है । निर्यातकों/व्यापारियों की कीमत सूची की एक प्रति प्राप्त करने के भी प्रयास किए गए थे, जो व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में चीनी ताइपेई और जापान के घरेलू बाजार में सामान्य मूल्य का तर्कसंगत, पर्याप्त और बिल्कुल सही साक्ष्य हो सकती है । तथापि, याचिकाकर्ता वर्तमान प्रयोजनार्थ सामान्य मूल्य के बिल्कुल सही और पर्याप्त आकलन के लिए चीनी ताइपेई और जापान में सामान्य मूल्य का कोई साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहा है । सामान्य मूल्य का निर्धारण उत्पादन लागत के अनुमानों के आधार पर किया गया है जिससे बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्चों तथा लाभ हेतु समायोजित किया गया है ।

2. <u>निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

प्राधिकारी ने धारा 9क(1)(ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थीं । चीनी ताइपेई और जापान से किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है ।

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा परिकलित मूल्य या भारत समेत अन्य देशों के लिए ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत अथवा जहां ये संभव न हो वहां समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से दी गई या देय कीमत समेत किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर, पर आधारित सामान्य मूल्य का निर्धारण अपेक्षित है । बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में सामान्य मूल्य के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा कोई आंकड़े अथवा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी । इस मामले में निर्यातकों/उत्पादकों ने भी उत्तर नहीं दिया है । अत: प्राधिकारी ने किसी अन्य विकल्प के अभाव में नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों पर भरोसा किया है ।

पाटन मार्जिन
सामान्य मूल्य

4. इन परिस्थितियों में प्राधिकारी ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर पेन्टायरीथ्रीटाल के विनिर्माण हेतु कच्ची सामग्री, घरेलू उद्योग के खपत मानकों और परिवर्तन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों, बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक लागतों तथा तर्कसंगत लाभ पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । उपलब्ध सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन चीनी ताइपेई के मामले में *** अम.डॉ. प्रति मी. टन और जापान के मामले में *** अम.डॉ. प्रति मी.टन के रूप में किया गया है ।

निर्यात कीमत

5. निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस की सूचना के आधार पर किया गया है। जांच अवधि के दौरान भारित औसत आयात कीमत का सीआईएफ मूल्य चीनी ताइपेई के मामले में *** रूपए प्रति मी.टन (*** अम.डॉ./मी.टन) और जापान के मामले में *** रूपए प्रति मी.टन (*** अम.डॉ./मी.टन) था । जांच अवधि के लिए परिवर्तन कारक को 44.99 रूपए = 1 डॉलर के रूप में लिया गया है । निर्यातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार के उत्तर के अभाव में प्राधिकारी ने अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्ययों और बैंक प्रभारों के लिए सामान्य समायोजन (घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे के अनुसार) किए हैं । चीनी ताइपेई और जापान के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत का परिकलन क्रमश: *** अम.डॉ./मी.टन और *** अम.डॉ./मी.टन के रूप में किया गया है ।

पाटन मार्जिन

6. ऊपर यथानिर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया है :-

	पाटन मार्जिन %
चीनी ताइपेई	18.84%
जापान	76.26%

7. निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक और निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है ।

क्षति निर्धारण

<u>क्षति का जारी रहना</u>

<u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

घरेलू उद्योग के विचारों का सारांश नीचे दिया गया है :-

1. पेन्टायरीथ्रीटाल पर पाटनरोधी शुल्क के बावजूद संबद्ध देशों से पाटन जारी है । मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयातों की मात्रा और भारत में निर्यातित वस्तुओं के कीमत स्तर को देखते हुए यह आशंका है कि यदि पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि होगी । आगे यह भी तर्क दिया गया है कि संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग को अपने निष्पादन में सुधार करने में मदद मिली है । तथापि, घरेलू उद्योग उस सीमा तक सुधार करने में सक्षम नहीं रहा है, जहां तक उसे करना चाहिए । इसका पहला कारण चीन और स्वीडन से पाटन है और दूसरा संबद्ध देशों से पाटन का जारी रहना है । इस प्रकार, वर्तमान में लागू शुल्क को हटाए जाने से पाटन और क्षति के और अधिक होने की अत्यधिक संभावना है । प्राधिकारी ने चीन और स्वीडन के विरूद्ध

जांच के मामले में यह माना है कि घरेलू उद्योग को 2004-05 में क्षति हुई थी और उस जांच अवधि के बाद निष्पादन में कोई खास वास्तविक सुधार नहीं हुआ है । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यद्यपि, घरेल उद्योग में सुधार शुरू हो गया है, तथापि चीन और स्वीडन से फिर से पाटन होने से घरेलू उद्योग को पुन: क्षति होगी । इसके अलावा, यद्यपि उन स्रोतों पर भी पाटनरोधी शुल्क लागू किया गया है, तथापि वर्तमान जाँच अवधि में बाजार में पाटित आयातों की उपस्थिति और संबद्ध देशों से पाटित आयातों की उपस्थिति से घरेलू उद्योग के सुधार में अवरोध उत्पन्न हुआ था । घरेलू उद्योग की स्थिति की विकृति जारी है । घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में क्षति के प्रति संवेदनशील है और उसकी स्थिति नाजुक है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

2. प्राधिकारी ने दिए गए विभिन्न तर्कों को नोट किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. और स्वीडन के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्क लागू है । उस मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मानी गई जांच अवधि अक्टूबर, 2003 से सितंबर, 2004 तक की थी जो वर्तमान मामले में आधार वर्ष है । उस मामले में वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2005 की अधिसूचना के तहत अंतरिम शुल्क लगाया गया था । यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु संगत है । प्राधिकारी ने पहले यह पाया है कि घरेलू उद्योग चीन और स्वीडन से क्षति उठा रहा था ।

3. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 में इन दोनों की वस्तुनिष्ठ जांच की व्यवस्था है, (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद हेतु घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव; और (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का परिणामी प्रभाव । पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातों में समग्र रूप से अथवा आयातक देश में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है । पाटित आयातों की कीमत प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी द्वारा यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा भारी कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमत में महत्वपूर्ण स्तर तक कमी करना है या ऐसी कीमत वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ गई होती ।

4. क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की जांच की है तथा पाटन और क्षति के बीच किसी क्षति अथवा कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच के लिए कीमत और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ।

(क) मात्रात्मक प्रभाव : पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर प्रभाव

संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा के प्रभाव की जांच निम्नानुसार की गई है :-

(i) संबद्ध देश की आयात मात्रा तथा हिस्सा

आंकड़े मी.टन में

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
चीनी ताइपेई	432	700	500	107	160
जापान	-	-	-	25	37
चीन तथा स्वीडन	331	2,639	4,735	3,756	5,634
अन्य देश	771	461	486	1,268	1,903
कुल आयात	1,534	3,800	5,722	5,156	7,733
आयात में बाजार हिस्सा(%में)					
चीनी ताइपेई	28.16	18.42	8.74	2.07	2.07
जापान	-	-	-	0.48	0.48
चीन तथा स्वीडन	21.54	69.45	82.76	72.85	72.85
अन्य देश	50.29	12.13	8.50	24.60	24.60

5. जांच शुरूआत के समय केवल जुलाई, 2006 से सितंबर, 2006 तक की अवधि के लिए आंकड़े आईबीआईएस पर आधारित थे । उस समय इस अवधि के लिए सूचना डीजीसीआईएंड एस के पास उपलब्ध नहीं थी । तथापि, अब क्षति अवधि के लिए संपूर्ण आंकड़े डीजीसीआईएंड एस के सौदावार आयात आंकड़ों पर आधारित है । वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) के आंकड़ों के अनुसार यह प्रदर्शित होता है कि जांच अवधि के दौरान आयातों में कमी आई है । यद्यपि, जांच अवधि में आयातों की मात्रा अधिक नहीं थी, तथापि वह पाटनरोधी शुल्क को हटाए जाने की स्थिति में संभावित प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त थी । यह नोट किया जाता है कि मूल जांच के समय आयातों की मात्रा अल्पावधि में काफी अधिक बढ़ गई थी, तथापि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद इसमें काफी गिरावट आई थी । आयातों की कम मात्रा संभवत: इस कारण से थी कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है । तथापि, घरेलू उद्योग ने यह अभ्यावेदन दिया है कि यदि वर्तमान शुल्क हटाया जाता है तो आयातों की मात्रा में एक बार फिर वृद्धि होगी ।

(ii) मांग, उत्पादन तथा बाजार हिस्सा

(क) मांग तथा बाजार हिस्सा

मांग और बाजार हिस्से के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है :-

आंकड़े मी.टन में

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
घरेलू उद्योग की बिक्री	***	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	***	***	***	***	***

संबद्ध देशों से आयात	432	700	500	131	197
चीन तथा स्वीडन से आयात	331	2,639	4,735	3,756	5,634
अन्य देशों से आयात	771	461	486	1,268	1,903
भारत में मांग	***	***	***	***	***
मांग में बाजार हिस्सा (%)					
➢ घरेलू उद्योग	***	***	***	***	***
➢ अन्य भारतीय उत्पादक	46.65	39.62	35.91	36.59	36.59
➢ संबद्ध देश	3.36	4.62	2.99	0.80	0.80
➢ चीन तथा स्वीडन	2.57	17.42	28.34	22.90	22.90
➢ अन्य देश	6.00	3.04	2.91	7.73	7.73

8. मांग की गणंना भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और भारत में सभी आयातों को जोड़कर की गई है । इन आंकड़ों से यह इंगित होता है कि मांग में वृद्धि हुई है, तथापि इसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में मामूली गिरावट आई है । घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है । तथापि, चीन और स्वीडन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में इसमें मामूली सुधार हुआ है । यह मामूली सुधार चीन और स्वीडन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण हुआ प्रतीत होता है । यह भी नोट किया जाता है कि तीसरे देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, से आयातों में भारी वृद्धि हुई है, इस प्रकार पाटित आयातों के प्रति घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता सिद्ध होती है ।

(ख) घरेलू उद्योग का उत्पादन, क्षमता एवं क्षमता उपयोग

उत्पादन और क्षमता उपयोग के संबंध में स्थिति निम्नानुसार रही थी :-

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
स्थापित क्षमता (मी.टन)	***	***	***	***	***
उत्पादन (मी.टन)	***	***	***	***	***
क्षमता उपयोग(%)	102.95	100.65	106.74	101.93	101.93

6. उपर्युक्त आंकड़ों और पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणामों में यथाप्रदर्शित घरेलू उद्योग के पिछले निष्पादन से यह प्रदर्शित होता है कि वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और परिणामस्वरूप क्षमता उपयोग में कुछ हद तक स्थिरता आई थी ।

(ग) घरेलू उद्योग की बिक्रियां

क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्रियां निम्नानुसार रही थी :-

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
घरेलू बिक्री मात्रा(मी.टन)	***	***	***	***	***
घरेलू बिक्री का मूल्य (लाख रुपए)	***	***	***	***	***
घरेलू बिक्री कीमत(रू./मी.टन)	***	***	***	***	***

उपर्युक्त सूचना से यह प्रदर्शित होता है कि आयात मात्राओं में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग की बिक्रियों की मात्रा में गिरावट आई है । इस प्रकार घरेलू उद्योग पाटित आयातों के प्रति संवेदनशील है ।

(ख) घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

9. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर पड़े प्रभाव की जांच कीमत कटौती की कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की भारित औसत उत्पादन लागत, भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) (घरेलू उद्योग की निर्धारण सूचना के आधार पर परिकलित) की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है । घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के निर्धारण में घरेलू उद्योग द्वारा दी गई रिबेटों, छूटों और कमीशन तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क हेतु समायोजन किया गया है ।

कीमत कटौती

घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और आयातों की पहुंच कीमत की तुलना से निम्नानुसार प्रदर्शित होता है :-

आंकड़े रू./मी.टन में

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
निवल बिक्री कीमत	***	***	***	***	***
बिक्री की लागत	***	***	***	***	***
आयात की पहुंच कीमत	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	***	***	***	***	***
कीमत कटौती (%)	(1.27)	1.54	(13.96)	7.64	7.64

10. जांच अवधि के दौरान तुलना से पता चलता है कि आयातों की पहुंच कीमत (पाटनरोधी शुल्क को शामिल किए बिना) घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम थी । जांच अवधि के दौरान की गई कटौती 7.64% तक सकारात्मक थी । प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद और चीन तथा स्वीडन से पाटन के बाजार में प्रमुख बन जाने के बाद आयातों की मात्रा में गिरावट के कारण संबद्ध देशों से की गई कीमत कटौती ऋणात्मक रही थी । तथापि, चीन तथा स्वीडन से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद संबद्ध देशों से कीमत कटौती एक बार फिर सकारात्मक हो गई थी । इस प्रकार यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने के परिणामस्वरूप आयात बाजार में सस्ते हो जाएंगे ।

कम कीमत पर बिक्री

13. कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा ज्ञात करने के लिए आयातों की पहुंच मूल्य के साथ उसकी तुलना की है । घरेलू उत्पादक के लिए क्षति रहित कीमत का मूल्यांकन जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत पर उचित ढंग से विचार करते हुए किया गया है । विश्लेषण से पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का भारित औसत पहुंच मूल्य जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षति रहित कीमत से कम रहा है । जांच अवधि के दौरान कम कीमत पर बिक्री का मार्जिन 25.63% था ।

आंकड़े रू./मी.टन में

विवरण	जांच अवधि
क्षतिरहित कीमत	***
आयात की पहुंच कीमत	***
कम कीमत पर बिक्री	***

घरेलू उद्योग क क्षतिरहित कीमत और संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच कीमत की तुलना से पता चलता है कि घरेलू उद्योग को क्षतिरहित कीमत से काफी कम कीमत पर उत्पाद को बेचने के लिए विवश होना पड़ा है ।

11. पाटित आयातों के कीमत न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव की जांच संबद्ध देश से उत्पादन लागत, निवल बिक्री प्राप्ति और पहुंच मूल्यों के संदर्भ में की गई है । यह देखा जाता है कि वर्ष 2002-03 और 2003-04 के बीच जब उत्पादन लागत में कमी आई थी, बिक्री कीमत में वृद्धि हुई थी । यह "संबद्ध देशों से पूर्ववर्ती पाटन और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभावों" का प्रभाव हो सकता है । वर्ष 2003-04 और 2004-05 के बीच बिक्री कीमत और उत्पादन लागत दोनों में गिरावट आई थी । तथापि, बिक्री कीमत में गिरावट उत्पादन लागत में गिरावट की तुलना में काफी अधिक थी । ऐसा चीन और स्वीडन से नए पाटन के कारण हुआ था । वर्ष 2004-05 और जांच अवधि के बीच बिक्री कीमत और उत्पादन लागत दोनों में वृद्धि हुई थी । तथापि, उत्पादन लागत में हुई वृद्धि बिक्री कीमत में वृद्धि से काफी अधिक थी ।

ऐसा होना पुन: चीन और स्वीडन से पाटन के कारण प्रतीत होता है । इस प्रकार यह पाया जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत अस्थिर रही थी और इसमें आयातों की पहुंच कीमत के अनुसार प्रतिक्रिया हुई थी । इस तरह के मामले में पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनकारी /ह्रासकारी प्रभाव पड़ेंगे ।

क्षति संबंधी अन्य मानदंडों की जांच

14. पूर्ववर्ती खंडों में घरेलू उद्योग की मात्राओं और कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव तथा आयातों की मात्रा तथा मूल्य, घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग तथा बिक्रियों तथा विभिन्न खंडों के बाजार हिस्सों के साथ मांग की प्रवृत्ति की जांच करने के बाद, घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मौजूदगी प्रदर्शित करने वाले अन्य आर्थिक मापदंडों का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है ।

लाभ

लाभ/हानि, लगाई गई पूंजी और नकद प्रवाह के संबंध में स्थिति निम्नानुसार रही है :-

विवरण	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
लाभ/हानि	रू./मी.टन	***	***	***	***	***
लाभ/हानि	लाख रूपए	***	***	***	***	***
लगाई गई पूंजी पर आय	%	15.29	31.47	10.19	4.95	4.95
नकद प्रवाह (नकद लाभ)	लाख रूपए	***	***	***	***	***

15. घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लाभप्रदता का विश्लेषण कंपनी के रिकार्डों से किया गया है । यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग को वर्ष 2002-03 में लाभ होना शुरू हो गया था और 2003-04 तक वृद्धि की यह प्रवृत्ति जारी रही थी । तत्पश्चात चीन और स्वीडन से क्षतिकारी पाटन के कारण एक बार फिर लाभप्रदता में गिरावट आनी शुरू हो गई थी । पूर्व में यथाविश्लेषित बिक्री कीमत और उत्पादन लागत की प्रवृत्तियों से भी यह इंगित होता है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों को आयात कीमतों के बराबर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है । यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से कीमत कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिनसे घरेलू बाजार में कीमत न्यूनकारी प्रभाव पड़ेंगे । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के वर्तमान स्तर को देखते हुए यह स्पष्ट है कि इस कीमत न्यूनकारी प्रभाव से वितीय घाटे होंगे, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है बल्कि घरेलू

उद्योग की उत्पादन लागत से भी कम है । लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभों (और परिणामतः नकद प्रवाह) में भी लाभों की ही तरह समान प्रवृत्ति रही है ।

(ii) रोजगार तथा मजदूरी

16. घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है और इन दो मापदंडों से क्षति प्रदर्शित नहीं होती है ।

विवरण	इकाई	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***	***
रोजगार	संख्या	***	***	***	***	***
वेतन तथा मजदूरी	लाख रूपए	***	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.टन	88.24	83.87	80.06	83.78	83.78

(iii) उत्पादकता

17. उत्पादकता की प्रवृत्तियां उत्पादन की प्रवृत्तियों के बिल्कुल समान रही हैं और इनमें क्षति अवधि के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है ।

आंकड़े मी.टन में

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि विश्लेषित	जांच अवधि
उत्पादन	***	***	***	***	***
प्रति दिवस उत्पादकता	***	***	***	***	***
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	88.24	83.87	80.06	83.78	83.78

iv. माल सूची

वर्ष 2002-03 और जांच अवधि के बीच माल सूची की स्थिति उच्च बनी रही है । घरेलू उद्योग के पास औसतन लगभग 20-30 दिनों की सामग्री भंडार में रही थी ।

आंकड़े मी.टन में

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
औसत स्टॉक	***	***	***	***

(v) कीमत पर प्रभाव डालने वाले कारक

21. संबद्ध देश से निर्यात कीमत के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि इसमें आधार वर्ष से वर्ष 2004-05 तक वृद्धि हो रही थी, परंतु जांच अवधि में इसमें गिरावट आई थी ।

सीमाशुल्क में भी आधार वर्ष से जांच अवधि में वर्ष 2002-03 में 30%, जांच अवधि के दौरान 15% तक की गिरावट आई है । कम हुई निर्यात कीमत और घटे हुए सीमाशुल्क के संयोजित प्रभाव के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु के पहुंच मूल्य पर प्रभाव पड़ा था ।

रू./मीटन

विवरण	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
सीआईएफ निर्यात कीमत	48,754	52,374	56,550	***
आयात की पहुंच कीमत	63,526	65,598	67,972	***

अन्य ज्ञात कारक

अन्य स्रोतों से आयातों की मात्रा और कीमत

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों, जिन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं है, से आयात उच्चतर कीमतों पर हुए हैं । अत: अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है अथवा इन स्रोतों पर पहले से पाटनरोधी शुल्क लागू है ।

आंकड़े रूपए/मी.टन में

	2002-03	2003-04	2004-05	जांच अवधि
सीआईएफ आयात कीमत				
संबद्ध देशों से	48,754	52,374	56,550	***
चीन तथा स्वीडन से	55,373	43,581	41,473	48,757
अन्य देशों से	50,676	53,695	44,515	55,175

मांग में संकुचन और/अथवा खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

23. विचाराधीन उत्पाद की मांग में कोई ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं हुई है । मांग में संकुचन संभव नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति का एक कारण हो सकता था । वस्तुत: रिोधी पक्षकारों ने तर्क दिया है कि उत्पाद की मांग बढ़ रही है और घरेलू उद्योग बाजार में मांग को पूरा करने में असमर्थ है । विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तनों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है ।

व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रियाएं तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

घरेलू उद्योग को क्षति के कारण के रूप में किसी संभव व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया का कोई साक्ष्य प्राधिकारी के नोटिस में नहीं लाया गया है और न ही जांच में ऐसे किसी संभव प्रभाव का पता चला है ।

प्रौद्योगिकी का विकास तथा निर्यात निष्पादन

उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । प्रैद्योगिकी में विकास क्षति का एक कारक प्रतीत नहीं होता है । घरेलू उद्योग कोई खास निर्यात कार्यकलाप नहीं करता है । घरेलू उद्योग को हुई क्षति घरेल उद्योग द्वारा संबद्ध वस्तुओं के निर्यात के कारण हुई प्रतीत नहीं होती है ।

घरेलू उद्योग द्वारा अन्य उत्पादित तथा बेचे गए उत्पादों का निष्पादन

26. घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है । तथापि, प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन का आकलन किया है । अन्य उत्पादों के निष्पादन से घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन पर प्रभाव नहीं पड़ा है ।

पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना

पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के समर्थन में प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं ।

(क) घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता

29. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि ऐसी स्थिति में जबकि पाटन जारी रहा है और घरेलू उद्योग को एक के बाद एक स्रोत से क्षति होना जारी रहा है, तो यह स्पष्ट है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होना संभावित है । इसके अलावा, जैसा कि सेस्टेट द्वारा बताया गया है, पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जिसमें आयातों की पहुंच कीमत में पाटनरोधी शुल्क के बराबर गिरावट आ जाएगी । एक बार आयातों की पहुंच कीमत में गिरावट होने पर घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में आनुपातिक कमी करने के लिए विवश होना पड़ेगा । यदि घरेलू उद्योग अपनी कीमतों में और कमी करता है तो घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटे होने शुरू हो जाएंगे और इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें निवेशों पर आय और नकद प्रवाह की स्थिति और खराब होगी तथा यह ऋणात्मक हो सकती है ।

(ख) वर्तमान उपायों के साथ आयातों द्वारा की गई भारी कीमत कटौती

30. पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में भारी कटौती होगी । पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को भारी क्षति होने की अत्यधिक संभावना है क्योंकि (क) आयातित उत्पाद और घरेलू उद्योग के उत्पाद के बीच कीमत अंतर का स्तर काफी अधिक है, (ख) वर्तमान जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ काफी कम रहे थे और इसलिए कीमत में किसी भी कटौती से घरेलू उद्योग को भारी वित्तीय घाटा होगा ।

(ग) **पाटन मार्जिन का स्तर**

31. वर्तमान निर्यातों के संबंध में पाटन मार्जिन काफी अधिक है । इस प्रकार इनसे बढ़े हुए पाटन और क्षति की संभावना का संकेत मिलता है ।

(घ) **तीसरे देश से पाटन**

32. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि इन देशों के उत्पादक विश्व के देशों को पाटित कीमतों पर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं । भारत में उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद ऐसे निर्यातों की मात्रा में वृद्धि हुई है । यद्यपि, वर्तमान अवधि के दौरान आयातों की मात्रा कम थी, तथापि, ऐसा इन देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और चीन और स्वीडन से पाटनरोधी शुल्क से मुक्त आयातों की पहुंच के कारण हुआ था । फिर भी, वह कीमतें जिन पर निर्यात किए गए थे, स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करती थीं कि निर्यात पाटित कीमतों पर हुए थे और इनके पाटित कीमतों पर होने की संभावना है ।

मात्रा/मी.टन

से निर्यात	भारत को	अन्य देशों को	कुल निर्यात
चीनी ताइपेई			
2003	640	13823	14463
2004	460	16970	17430
2005	280	18460	18740
जापान			
2003-04	1.1	3997	3998
2004-05	0	5632	5632
2005-06	39	6049	6088

स्रोत : अलग-अलग देशों के सीमाशुल्क आंकड़ों के अनुसार

(ङ) **वर्तमान और पूर्ववर्ती जांच में पाटन मार्जिन**

मूल जांच में तथा वर्तमान जांच में भी निर्धारित पाटन मार्जिन काफी अधिक हैं । जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जाएगा । घरेलू उद्योग ने अभ्यावेदन किया है कि पाटनरोधी शुल्क हटाए जाने की स्थिति में पाटन में वृद्धि होने की सर्वाधिक संभावना है ।

	पाटन मार्जिन (%में) चीनी ताइपेई	पाटन मार्जिन (% में) जापान
मूल जांच	74.88	65.82
वर्तमान जांच	18.86	80.24

(च) **सेस्टेट का निर्णय**

घरेलू उद्योग ने कल्याणी स्टील लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2006 (203) ई.एल.टी 418 (टी आर आई. -डी ई एल)); विनाती आर्गेनिक्स लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2001 (127) ई.एल.टी 629 (टी आर आई. -डी ई एल)); इंडियन ग्रेपेफाइट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2006 (199) ई.एल.टी 722 (टी)); जिन्दल स्टेनलेस लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2006 (204) ई.एल.टी 267 (टी आर आई. -डी ई एल)); हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी जिसे 2006 (200) ई.एल.टी 39 (टी) में दर्ज किया गया था; फोरम ऑफ एक्रेलिक फाइबर मैन्युफैक्चरर्स बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (2006 (202) ई.एल.टी 257 (टी) के मामलों में न्यायाधिकरण के निर्णयों का संदर्भ दिया है और इन निर्णयों के आधार पर यह तर्क दिया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क की अवधि को निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए ।

(क) प्रचलित पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती सकारात्मक रही है;

(ख) यदि किसी देश विशेष से कीमत कटौती ऋणात्मक हो तो प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग पर किसी कीमत ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव की संभावना है;

(ग) आयातों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है बल्कि घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी कम है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग द्वारा इस सूचना के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य को नोट करते हैं कि इन देशों के उत्पादक पाटित कीमतों पर विश्व के देशों को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं । ऐसे निर्यातों की मात्रा में भारत में उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद वृद्धि हुई है । तथापि, प्राधिकारी नोट करते है कि जांच अवधि के दौरान जापान के संबंध में एक सौदे को छोड़कर आंकड़ों से भारत को शून्य निर्यात प्रदर्शित होते हैं । डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के अनुसार यह आयात जेएनपीटी पत्तन पर एक पक्षकार द्वारा किए गए हैं । यह आंकड़े अन्य देशों को जापान से भारी मात्रा में निर्यात को प्रदर्शित नहीं करते हैं । तथापि, कम पहुंच कीमत के मद्देनजर जापान से पाटन की संभावना हो सकती है । तथापि, चीनी ताइपेई के मामले में जांच अवधि के दौरान निरंतर आयात किए गए हैं और तीसरे देश को निर्यात में उनका हिस्सा काफी अधिक और वृद्धिशील है । अत: निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्धारित करते हैं कि यदि शुल्क हटाया जाता है तो जापान और चीनी ताइपेई से पाटन के जारी रहने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

निष्कर्ष

50. पाटन, क्षति, कारणारणात्मक संबंध और पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना के वर्तमान स्तर की उपर्युक्त जांच के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि

(क) भारतीय बाजारों में संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का प्रवेश जारी है ।

(ख) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति उठानी पड़ी है ।

(ग) यदि शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने की संभावना है ।

भारतीय उद्योगों का हित तथा अन्य मुद्दे

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में मुक्त एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके । पाटनरोधी उपाय लागू करने का उद्देश्य या उनके लागू होने से संबद्ध देशों से होने वाले आयात किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की उपलब्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अंतिम जांच परिणाम

52. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों, प्रदत्त सूचना और अनुरोधों तथा हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के जरिए प्राधिकारी के समक्ष अथवा अन्यथा उपर्युक्त निष्कर्षों में दर्ज किए गए उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान तथा संभावित पाटन एवं क्षति की स्थिति तथा पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :-

(i) संबद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रवेश कर रही हैं और संबद्ध देशों से पाटन मार्जिन पर्याप्त और निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है । तथापि, यदि वर्तमान उपाय हटाया जाता है तो संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं के प्रवेश करने की संभावना है । इस प्रकार यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पाटन की क्षतिपूर्ति हेतु शुल्क को लागू रखना अनावश्यक है ।

(ii) यद्यपि, घरेलू उद्योग ने क्षति अवधि के दौरान अपने निष्पादन में सुधार किया है, तथापि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है । इसके अलावा, यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति होना जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।

53. इस निष्कर्ष के बाद कि घरेलू उद्योग की स्थिति नाजुक बनी हुई है और यदि शुल्क हटाया जाता है तो संबद्ध देशों से आयातों के कारण पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है । प्राधिकारी का यह मत है कि इन देशों से आयात के विरूद्ध उपाय को जारी रखना आवश्यक है । तथापि, संबद्ध देशों से पाटन और घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति के मद्देनजर लागू पाटनरोधी शुल्क में संशोधन करने की जरूरत है । अत: प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखना आवश्यक समझते हैं और उसकी अनुशंसा करते हैं ।

54. प्राधिकारी घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने की दृष्टि से जापान और चीनी ताइपेई से पेन्टायरीथ्रीटॉल के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक समझते हैं । प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी । क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की भारित औसत क्षति रहित कीमत के साथ की गई है ।

55. तद्नुसार प्राधिकारी जापान और चीनी ताइपेई के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के सीमाशुल्क शीर्ष 2905.42 के अंतर्गत आने वाले पेन्टायरीथ्रीटॉल के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं । पाटनरोधी शुल्क कॉलम 7 में उल्लिखित राशि होगा ।

वस्तुओं का विवरण	विनिर्देशन	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पेन्टायरीथ्रीटाल	कोई ग्रेड	चीनी ताइपेई	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	9220	मी.टन	आईएनआर
पेन्टायरीथ्रीटाल	कोई ग्रेड	कोई	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	9220	मी.टन	आईएनआर
पेन्टायरीथ्रीटाल	कोई ग्रेड	चीनी ताइपेई	कोई	कोई	कोई	9220	मी.टन	आईएनआर
पेन्टायरीथ्रीटाल	कोई ग्रेड	जापान	जापान	कोई	कोई	25271	मी.टन	आईएनआर
पेन्टायरीथ्रीटाल	कोई ग्रेड	कोई	जापान	कोई	कोई	25271	मी.टन	आईएनआर
पेन्टायरीथ्रीटाल	कोई ग्रेड	जापान	कोई	कोई	कोई	25271	मी.टन	आईएनआर

56. इस अनुशंसा से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेशों के विरूद्ध कोई अपील अधिनियम के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी ।

57. प्राधिकारी अधिनियम के संगत प्रावधानों और समय-समय पर इस संबंध में जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार आवधिक रूप से इन यथा अनुशंसित निश्चयात्मक उपाय को जारी रखने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें समाप्त करने की आवश्यका की समीक्षा कर

सकते हैं । समीक्षा हेतु हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत ऐसे किसी आवेदन पर प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, यदि वह इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समयावधि के अनुसार नहीं किया जाता है ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2008

Final Findings

(Sunset Review)

Subject : Anti-Dumping investigation (Sunset Review) involving import of Pentaerythritol from Japan and Chinese Taipei.

No. 15/7/2006-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for determination of Injury) rules 1995 (hereinafter referred to as rules;

A. Background of the case

i) Whereas, having regard to the above rules, the Designated Authority (hereinafter referred to as authority) initiated an antidumping investigation on 22nd, November, 2001 and the Authority notified its final finding vide notification no 48/1/2001-DGAD dated 08.10.2002. Department of Revenue imposed definitive anti dumping duties on the subject goods imported from Chinese Taipei , Canada and Japan vide customs notification no 119/2002-customs dated 31.10.2002.

ii) And whereas, on the basis of a duly substantiated petition filed by the Domestic Industry, in terms of section 9A (5) of the said Act, requesting for continuation of the duty for a period of another five years, the Designated Authority initiated a sunset review proceedings against the said measure vide notification no. 15/07/2006-DGAD dated 15th March 2007, to examine whether the expiry of the duty would lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The sunset review was initiated against Chinese Taipei and Japan as the Domestic Industry proposed to exclude Canada on the grounds that the subject goods were no longer being produced there. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2005 to 30th September 2006 (POI). The injury examination was conducted for a period from 2002-03 to POI.

B. PROCEDURE

1. In these proceedings, the procedure described below has been followed:

i) After initiation of the review, the Authority sent questionnaires, along with the initiation notification, to the known exporters/producers in the subject country in accordance with the Rule 6(4), to elicit relevant information.

ii) Notices were also sent to the domestic industry in India seeking relevant information in accordance with the Rules.

iii) The Embassy of the subject countries in New Delhi was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.

iv) Questionnaires were sent to the known importers and consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigations.

vi) Copies of the initiation notification were also sent to FICCI, CII and ASSOCHAM for wider circulation.

vii) No exporter/producer or importer responded to the questionnaires.

viii) M/s. Kanoria Chemical and Industries, being domestic industry, submitted the information/data.

ix) The Authority verified the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to examine the injury suffered, to work out optimum cost of production, cost to make and sell the subject goods in India and so as to ascertain if Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.

x) The Authority held a public hearing on 05.11.2007 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry. The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally. The written submissions received from the interested parties have been considered by the Designated Authority.

xi) The Authority made available the public file to all interested parties containing non-confidential version of all evidence submitted by various interested parties for inspection, upon request.

xii) The views expressed by various interested parties in response to the initiation notification, subsequent to the public hearing and in response to the Disclosure Statement are discussed in the relevant paragraphs to the extent these are relevant as per rules and have a bearing upon the case. The arguments raised by the interested parties have been examined, considered and, wherever appropriate, dealt in relevant paragraphs.

xiii) Investigations were carried out for the period of investigation (POI) from 1st April 2005 to September 2006. However injury analysis has been carried out for the years 2002-03, 2003-04 and 2004-05 and the period of investigation.

xiv) Disclosure statement was issued on 13 February 2008 and all interested parties were advised to make their comments known to the Designated Authority. However, none of the interested parties except domestic industry has offered comments. In their comments, domestic industry reiterated their previous submissions and requested the Designated Authority to continue the duty for further period of five years.

xv) *** in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

2. The product involved in the original investigation is Pentaerythritol. This being a sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation.

3. The product under consideration in the present sunset review is the same as defined in the original investigation, The product under consideration in the present petition is Pentaerythritol (also referred to as subject goods or PENTA hereinafter) originating in or exported from Japan and Chinese Taipei . Pentaerythritol finds application in manufacture of Alkyd Resin, Rosin Esters, Plasticizers, Printing Inks, Synthetic Rubber, Stabilizers for Plastics, Modified drying oils, Detonators, Explosives, Pharmaceuticals, Core oils and Synthetic Lubricants.

4. Pentaerythritol is classified under Customs sub heading No 2905.42 under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

5. There is no difference in the product being imported from subject countries and goods being produced by the petitioner. Authority proposes to hold that the subject goods produced by the petitioner and imported from subject countries are like articles as per Rule 2(d).

D. DOMESTIC INDUSTRY

6 With regard to scope of domestic industry, the petitioner is a major producer of the subject product in the Country. Apart from petitioner, the subject goods are being produced by Asian Paints (India) Ltd. and Perstorp Aegis Chemicals (P) Ltd. While Asian Paints produce the goods primarily for captive consumption, it has also undertaken some sales in the Indian Market in the relevant period. Perstorp Chemicals has supported this petition however the company has not provided injury/ costing information. The company has not opposed extension of anti dumping duty. The Authority holds that the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

E. INITIATION OF THE REVIEW AND ARGUMENTS RAISED

Views of Applicant Domestic Industry

7. Domestic industry has submitted that despite anti-dumping duty on Pentaerythritol, dumping continued from the subject countries. Given the volume of imports and level of prices at which the goods have been exported to India, it is likely that volume of import would increase in case anti-dumping duties are withdrawn. The Designated Authority found in the matter of parallel investigations for this product against China and Sweden that the domestic industry suffered injury in 2004-05. Performance of the domestic industry did not improve up to the POI due to the impact of dumping from China and Sweden. Situation of the domestic industry is fragile and the domestic industry is vulnerable to injury in the event of revocation of anti dumping duty.

View of the other interested parties

Indian Paints Association have made their submissions opposing extension of anti dumping duty. While opposing extension of anti dumping duty, the Association has argued that the volume of imports from these countries is very low and that the domestic industry cannot meet the demand.

Examination by the Authority

8. The Authority has taken note of arguments raised by the interested parties and the same have been considered while analyzing the dumping from subject countries and injury to the domestic industry. The Authority notes that volume of imports from Chinese Taipei is not insignificant. Moreover, the present investigations being sunset review investigations, likelihood of injury is also equally important and relevant. The Authority also notes that inability of the domestic industry to meet the demand cannot prevent it from seeking redressal under dumping law. The Authority also notes that the Indian Paints Association, while opposing extension of anti dumping duty has not put forward any evidence supporting their claim of low imports from the subject countries nor submitted details of their imports during the period of investigation.

F. Dumping Determination: Normal Value, Export Price and Dumping Margin

1 Submission made by domestic industry

1.1. Domestic industry made the following submissions:-

Normal value in Chinese Taipei and Japan imply price of Pentaerythritol in the domestic market of Chinese Taipei and Japan in ordinary course of trade. Efforts were made to get evidence of the price at which the material is being sold by the producers/traders in domestic market of the Chinese Taipei and Japan. Efforts were also made to get copy of the price list of the exporters/traders, which may form reasonable, sufficient and accurate evidence of

normal value in domestic market of Chinese Taipei and Japan in the ordinary course of trade. However, the petitioner has not been able to get any evidence of normal value in Chinese Taipei and Japan, which can constitute accurate and adequate assessment of normal value for the present purpose. The normal value has been determined on the basis of estimates of cost of production, adjusted for selling, general & administrative expenses and profit.

2 Examination by the Designated Authority

The Authority sent copies of the questionnaire to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with Section 9A(1)(c). None of the producers/exporters from Chinese Taipei and Japan have filed any response to the questionnaire.

As per Para 7 of Annexure 1 of AD Rules, the Authority is required to determine normal value on the basis of 'price or constructed value in the market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product.' No data or information was made available by the domestic industry about normal value in market economy third country. Exporters/Producers have also not responded in this case. The Authority, therefore, in absence of any other option, has relied upon the fact available as per Rule 6(8).

Dumping margin

Normal Value

4. Under the circumstances, the Authority has constructed the normal value by considering the raw material for manufacture of Pentaerythritol at the international prices, the consumption norms of the domestic industry and best estimates of conversion cost, selling general & administrative costs and reasonable profit. Based on the information available, the normal value has been calculated at US$ *** Per MT in case of Chinese Taipei and US$*** per MT in case of Japan.

Export Price

5. The export price has been determined on the basis of DGCI&S information. During POI, the CIF value of weighted average import price was Rs.***per MT (US$***/MT) in case of Chinese Taipei and Rs.*** per MT(US$***/ MT) in the case of Japan. The conversion factor has been adopted as Rs 44.99=1$ for the POI. In absence of any exporters response or any other interested party, the authority has made normal adjustments (as claimed by the domestic industry) on account of inland freight , ocean freight, marine insurance, commission, port expenses and bank charges, the ex-factory export price has been calculated as US$ ***/ MT and US$ *** /MT respectively from Chinese Taipei and Japan .

Dumping Margin

6. Based on the normal value and export price as determined above, the Authority determined the dumping margin as under:

	Dumping margin %
Chinese Taipei	18.84%
Japan	76.26%

7. The dumping margin determined is significant and above de minimis.

Injury determination

Continuation of injury

Views of the Domestic Industry

Views of Domestic industry are summarized below:

1. Despite anti-dumping duty on Pentaerythritol, dumping continued from the subject countries. Given the volume of imports and level of prices at which the goods have been exported to India in spite of existing anti-dumping duty, it is likely that volume of imports would increase significantly in case anti-dumping duties are withdrawn. It is further contended that the imposition of anti dumping duty on subject countries has helped the domestic industry in improving its performance. However, the domestic industry has not been able to improve to the extent it should have, firstly due to dumping from China and Sweden, and secondly, due to continued imports from subject countries. Thus, there is a great likelihood of intensified dumping and intensified injury in case the present duty in force is revoked. The Authority has held in the matter of investigations against China and Sweden that the domestic industry suffered injury in 2004-05 and performance has not very materially improved after that POI. Thus, it may be concluded that whereas the domestic industry started recovering, fresh dumping from China and Sweden once again resulted in injury to the domestic industry. Further, even though ADD has been imposed on those sources as well, the presence of dumped imports in the market in the present POI and presence of dumped imports from subject countries had prevented recovery of the domestic industry. Situation of the domestic industry continued to remain adverse. The domestic industry is vulnerable to injury in the event of revocation of anti dumping duty and its situation is fragile.

Examination by the Authority

2. The Authority has taken note of various arguments raised. The Authority notes that anti-dumping duty is in force against China PR and Sweden. The investigation period considered by the Designated Authority in that case was October 2003 to September 2004, which is the base year in the present case. Interim duties were imposed by the Ministry of Finance in that case vide notification dated 20th Oct., 2005. This is relevant for assessment of injury to the domestic industry. The Authority has earlier found that domestic industry was suffering injury from China and Sweden.

3. Annexure II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in imports, either in absolute term or relative to production or consumption in the importing member. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine

whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in the importing country, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree, or prevent price increase, which would have otherwise occurred to a significant degree.

4. For the purpose of injury analysis the Authority has examined the volume and price effects on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal links between the dumping and injury, if any.

(A) Volume Effect: Volume effect of dumped imports and impact on domestic industry:

The effects of volume of dumped imports from subject country have been examined as follows:

(i) Import Volumes and share of the subject country:

Figures in MT

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Chinese Taipei	432	700	500	107	160
Japan	-	-	-	25	37
China & Sweden	331	2,639	4,735	3,756	5,634
Other Countries	771	461	486	1,268	1,903
Total Imports	1,534	3,800	5,722	5,156	7,733
Market share in imports(in %)					
Chinese Taipei	28.16	18.42	8.74	2.07	2.07
Japan	-	-	-	0.48	0.48
China& Sweden	21.54	69.45	82.76	72.85	72.85
Other Countries	50.29	12.13	8.50	24.60	24.60

5. At the time of initiation, the import data for the period of July 06 to September 06 only was based on IBIS, the information for this period not being available in DGCI&S at that point of time. However, now the entire data for the Injury period is based on transaction wise import data from DGCI&S. The data as per Director General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) shows that imports have declined during POI. Even though the volume of imports in the investigation period was not significant, it was significant enough in establishing its likely impact in the event of revocation of anti dumping duties. It is noted that at the time of original investigations, the volume of imports had increased significantly in a short period. The same however declined significantly after imposition of anti dumping duties. The low volume of imports is possibly due to the fact that the landed price of imports, after adding present anti dumping duties, is higher than selling price of the domestic industry. Domestic industry has however represented that the volume of imports would increase once again, should the present duties be revoked.

(ii) Demand, Output and Market shares

a) Demand and market share

Position with regard to demand and market share is as follows -

Figures are in MT

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Sales of Domestic Industry	***	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	***	***	***	***	***
Imports from Subject Countries	432	700	500	131	197
Imports from China & Sweden	331	2,639	4,735	3,756	5,634
Imports from Other Countries	771	461	486	1,268	1,903
Demand in India	***	***	***	***	***
Market Share in Demand in (%)					
➢ Domestic Industry	***	***	***	***	***
➢ Other Indian Producers	46.65	39.62	35.91	36.59	36.59
➢ Subject Countries	3.36	4.62	2.99	0.80	0.80
➢ China & Sweden	2.57	17.42	28.34	22.90	22.90
➢ Other Countries	6.00	3.04	2.91	7.73	7.73

8. The demand has been calculated by addition of domestic sales of Indian Producers and all imports in India. The data indicates that the demand has shown increase. However, the same marginally declined in POI as compared to preceding year. The market share of domestic industry declined. The same however improved marginally in POI as compared to preceding year with imposition of anti dumping duty on China and Sweden. This marginal improvement appears to be due to imposition of anti dumping duty on imports from China and Sweden. It is also noted that imports from third countries not attracting anti dumping duties have significantly increased, thus establishing vulnerability of the domestic industry from dumped imports.

b) Production, capacity and capacity utilization of the Domestic Industry

The position with regard to production and capacity utilization was as under.

Particulars	**2002-03**	**2003-04**	**2004-05**	**POI Annualized**	**POI**
Installed Capacity(MT)	***	***	***	***	***
Production(MT)	***	***	***	***	***
Capacity Utilization(%)	102.95	100.65	106.74	101.93	101.93

6. The above data and past performance of the domestic industry as reflected in previous final findings shows that production and consequently capacity utilization of the domestic industry was somewhat stabilized during the current injury period.

c) Sales of Domestic Industry

Sales of the domestic industry over the injury period were as follows –

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Domestic Sales Volume(MT)	***	***	***	***	***
Domestic Sales Value(Rs.Lacs)	***	***	***	***	***
Domestic sales Price(Rs./MT)	***	***	***	***	***

The above information shows that the sales volumes of the domestic industry declined with increase in the import volumes. The domestic industry is thus vulnerable to dumped imports.

(B) Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

9. The impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports from the subject country has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the weighted average cost of production, weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry (worked out on the basis of the costing information of the domestic industry) have been compared with landed value of imports from the subject country. In determining the net sales realization of the domestic industry, the rebates, discounts and commission offered by the domestic industry and the Central Excise Duty have been adjusted.

Price Undercutting

Comparison of selling price of the domestic industry and landed price of imports shows as under –

Figures are in Rs./MT

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Net Selling Price	***	***	***	***	***
Cost of sales	***	***	***	***	***
Landed price of Import	***	***	***	***	***
Price Undercutting	***	***	***	***	***
Price undercutting (%)	(1.27)	1.54	(13.96)	7.64	7.64

10. During the POI, the comparison shows that Landed price of imports (without including anti dumping duties) was below the net sales realization of the domestic industry. The undercutting during POI was positive by 7.64%. The Authority notes that after imposition of anti dumping duty on imports from subject countries and with dumping from

China and Sweden becoming prominent in the market, price undercutting from subject countries was negative with decline in volume of imports. However, with imposition of anti dumping duty on imports from China and Sweden, price undercutting from subject countries once again became positive. It is thus observed that the revocation of anti dumping duty would result in imports becoming cheaper in the market.

Price Underselling

13. The price underselling is an important indicator of assessment of injury. The Authority has determined non injurious price for the domestic industry and compared the same with the landed value of imports to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producer by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI. The analysis shows that the weighted average landed value of the subject goods from subject countries is less than the non injurious price determined for the domestic industry during the period of investigation. The underselling margin was 25.63% during the POI.

Figures are in Rs/MT

Particulars	POI
Non injurious price	***
Landed price of Import	***
Price Underselling	***

Comparison of non injurious price for the domestic industry and landed price of imports from subject countries shows that the domestic industry would be forced to sell the product at a price significantly below the non injurious price.

11. The price suppression/depression effect of the dumped imports has also been examined with reference to the cost of production, net sales realization and the landed values from the subject country. It is seen that between 2002-03 and 2003-04, whereas cost of production declined, the selling price increased. This could be an impact of "effects of past dumping from subject countries and imposition of anti dumping duty". Between 2003-04 and 2004-05, both selling price and cost of production declined. However, decline in selling price was significant as compared to decline in cost of production. This was due to fresh dumping from China and Sweden. Between 2004-05 and investigation period, both selling price and cost of production increased. However, increase in the cost of production was far more than increase in selling prices. This again appears due to dumping from China and Sweden. It is thus found that the selling prices of the domestic industry are volatile and respond to the landed price of imports. Such being the case, revocation of anti dumping duty shall result in price suppressing/depressing effect on the domestic industry.

Examination of other Injury Parameters

14. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments in the earlier section, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analysed hereunder as follows:

Profits

Position with regard to profit/loss, capital employed and cash flow is as follows –

Particulars	Units	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***	***
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***	***
Profit/Loss	Rs./MT	***	***	***	***	***
Profit/Loss	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Return on Capital Employed	%	15.29	31.47	10.19	4.95	4.95
Cash flow (cash profits)	Rs.Lacs	***	***	***	***	***

15. The profitability of the sales of the domestic industry has been analyzed from the records of the company. It is seen that after imposition of anti-dumping duty, domestic industry started making profit in 2002-03 and the same was on a increasing trend till 2003-04. Thereafter, profitability started declining once again due to injurious dumping from China and Sweden. The trends in selling price and cost of production as analysed earlier also indicate that the domestic industry is forced to keep its prices in tandem with import prices. Should the present anti dumping duty be revoked, the domestic industry would be faced with price undercutting from the subject countries, which would have price suppressing effect in the domestic market. Given the present level of profitability of the domestic industry, it is evident that this price suppressing effect would lead to financial losses, as the landed price of imports without anti dumping duty is significantly below not only the selling price of the domestic industry but also cost of production of the domestic industry. Return on capital employed and cash profits (and consequently cash flow) followed the same trend as that of profits.

ii) Employment and Wages

16. Domestic industry is a multi product company and these two parameters are not showing injury.

Particulars	Units	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Production	MT	***	***	***	***	***
Employment	Nos.	***	***	***	***	***
Salary and Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***	***
Productivity per Employee	MT	88.24	83.87	80.06	83.78	83.78

iii) Productivity

17. Trends in productivity are quite in line with trends in production and does not show significant change over the injury period.

Figures are in MT

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI Annualized	POI
Production	***	***	***	***	***
Productivity per day	***	***	***	***	***
Productivity per Employee	88.24	83.87	80.06	83.78	83.78

iv) Inventories

Inventories position remained high between 2002-03 and investigation period. The domestic industry was having on an average about 20-30 days material in stock.

Figures are in MT

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI
Average Stock	***	***	***	***

v) Factors affecting prices

21. Evaluation of export prices from subject country shows that it had been increasing from base year till 2004-05, but again declined in POI. The customs duty has also been declining from base year to POI from 30% in 2002-03 to 15% during POI. The combined effect of decreased export price and reduced customs duty consequently impacted the landed value of subject goods.

Rs/MT

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	POI
CIF Export Price	48,754	52,374	56,550	***
Landed price of Import	63,526	65,598	67,972	***

OTHER KNOWN FACTORS

Volume and prices of imports from other sources

22. The Authority notes that imports from other countries not attracting anti dumping duties are at higher prices. Imports from other countries are, therefore, not causing injury to the domestic industry or the sources are already attracting anti dumping duties.

Figures are in Rs/MT

	2002-03	2003-04	2004-05	POI
CIF import price				
from subject countries	48,754	52,374	56,550	***
from China and Sweden	55,373	43,581	41,473	48,757
from other countries	50,676	53,695	44,515	55,175

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

23. Demand of the product under consideration has not registered any negative growth. Contraction in demand is not a possible reason which could have contributed to injury to the domestic industry. In fact, the opposing parties argued that demand for the product is increasing and the domestic industry is unable to meet the demand in the market. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Changes in the pattern of consumption could not have contributed to the injury to the domestic industry.

Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

No evidence of possible trade restrictive practice which could have contributed to the injury to the domestic industry has been brought to the notice of the Authority, nor has the investigation shown any such possible impact.

Development of technology and export performance

Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology do not appear to be a factor of injury. Domestic industry does not have significant export activity. Injury to the domestic industry does not appear to be due to exports of the subject goods by the domestic industry.

Performance of other products produced and sold by the domestic industry:-

26. Domestic industry is multi Product Company. The Authority has however assessed performance of the domestic industry with regard to subject goods only. Performance of other products has not impacted the assessed injury to the domestic industry.

Likelihood of recurrence of dumping and Injury

Following facts have been brought before the Authority in support of likelihood of recurrence of dumping and injury.

(a) Vulnerability of the Domestic Industry

29. Domestic industry has submitted that in a situation where dumping has continued and domestic industry suffered continued injury from one after another source, it follows that the injury to the domestic industry is likely in the event of revocation of anti dumping duty. Further, as stated by the CESTAT, revocation of anti dumping duty would result in a situation where the landed price of imports would decline by the quantum of anti dumping duty. Once the landed price of imports decline, the domestic industry would be forced to proportionately reduce their prices. Should the domestic industry further reduce the prices, the domestic industry would start suffering financial losses, thus leading to a situation where the return on investment and cash flow would further deteriorate and might become negative.

(b) Significant price undercutting by imports with current measures

30. Imports from subject country would significantly undercut the prices of the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duties. There is a great likelihood of significant injury to the domestic industry from dumped imports as (a) the level of price difference between imported product and domestic industry's product is too significant, (b) profits earned by the domestic industry were too small during the current investigation period and therefore any price reduction would lead to significant financial losses to the domestic industry.

(c) Level of dumping margin

31. Dumping margin in respect of current exports is significant, thus indicating likelihood of intensified dumping and injury.

(d) Third Country Dumping

32. Domestic industry claimed that the producers in these countries are exporting product under consideration to world countries at dumped prices. Such exports have increased in volume since the imposition of anti dumping duty on the product in India. Even though the volume of imports was low during the current period, the same was due to imposition of anti dumping duties on these countries and access to anti dumping duty free imports from China and Sweden. Yet, the price at which exports were made clearly establish that the exports were made at dumping prices and are likely to be made at dumping prices.

VolumeMT

Exports from	To India	To other countries	Total exports
Chinese Taipei			
2003	640	13823	14463
2004	460	16970	17430
2005	280	18460	18740
Japan			
2003-04	1.1	3997	3998
2004-05	0	5632	5632
2005-06	39	6049	6088

Source: As per respective country's Customs data.

(e) **Dumping margin in present and previous investigations**

The dumping margin determined in the original investigation as also present investigations is significant, as would be seen from the table below. Domestic industry represented that the intensity of dumping is likely to at best increase in the event of revocation of anti dumping duties.

	Dumping Margin (in%) Chinese Taipei	Dumping Margin (in%) Japan
Original Investigation	74.88	65.82
Present investigation	18.86	80.24

(f) **Decisions of the CESTAT**

Domestic industry has referred to decisions of the Tribunal in the maters of Kalyani Steel Ltd. V/s Designated Authority [2006 (203) E.L.T. 418 (Tri. – Del.)]; Vinati Organics Ltd. Versus Designated Authority [2001 (127) E.L.T. 629 (Tri. - Del.) Indian Graphite Manufacturers Association v. Designated Authority [2006 (199) E.L.T. 722 (T)]. Jindal Stainless Limited Versus Designated Authority [2006 (204) E.L.T. 267 (Tri. - Del.)] Hindustan Lever Limited v. Designated Authority reported in 2006 (200) E.L.T. 39 (T) Forum of Acrylic Fibre Manufacturers v. DA [2006 (202) E.L.T. 257 (T) and has argued on the basis of these decisions that the anti dumping duties must be extended in following circumstances

(a) the price undercutting without prevailing anti dumping duties is positive;
(b) if the price undercutting from a particular country is negative, the Designated Authority is required to consider whether the imports are likely to have price suppressing or depressing effect on the domestic industry;
(c) the landed price of imports is below not only selling price of the domestic industry but also non injurious price of the domestic industry.

Examination by the authority

Designated Authority notes the evidence provided by the domestic industry in the form of information that the producers in these countries are exporting product under consideration to world countries at dumped prices. Such exports have increased in volume since the imposition of anti dumping duty on the product in India. The authority however notes that the data in respect of Japan during the POI, other than one transaction, shows Nil Exports to India. As per the DGCI&S data, this import has been made by one Party at JNPT Port. The data also does not show significant exports from Japan to other countries. However, in view of the lower landed price, there may be likelihood of dumping from Japan. In case of Chinese Taipei , however, there has been consistent imports during the POI and their share of exports to third countries is significant and on an increase. The Designated Authority therefore, determines that there is likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury to the domestic industry from Japan and Chinese Taipei in case the duty is revoked.

Conclusion

50. On the basis of the above examination of the current level of dumping, injury, causal links and likelihood of continuation of dumping and injury the Authority concludes that

a) The subject goods are continuing to enter the Indian market from the subject countries at dumped prices;

b) The domestic industry is suffering material injury due to the dumped imports;

c) Dumping of the subject goods from subject countries and injury to the domestic industry is likely to continue if the duties are withdrawn.

Indian industry's interest & other issues

51. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market. Imposition of anti-dumping measures is not either intended or would not restrict imports from the subject countries in any way, and, therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

FINAL FINDINGS:

52. Having regard to the issues raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority through the submission of interested parties or otherwise as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of current and likely dumping and injury and likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that:

i) The subject goods are entering the Indian market at dumped prices and dumping margins from subject countries are substantial and above de-minimis. The subject goods however are likely to enter Indian market at dumped prices from the subject countries, should the present measures be withdrawn. Thus, it has not been established that the continued imposition of the duty to offset dumping is unnecessary,

ii) Even though the domestic industry has improved its performance over the injury period, the situation of domestic industry continues to be fragile. Further, should the present anti dumping duties be withdrawn, injury to the domestic industry is likely to continue or recur.

53. Having concluded that the situation of the domestic industry continues to be fragile and there is likelihood of continuation or resumption of dumping and injury on account of imports from subject countries if the duties are revoked, the Authority is of the opinion that continuation of the measure is necessary against import from these countries. However, in view of the current level of dumping from subject countries and injury suffered by the domestic industry the anti dumping duty in force needs to be revised. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends continuation of anti dumping duty on imports of subject goods from subject countries.

54. The Authority considers it necessary to continue with an anti dumping duty on all imports of Pentaerythritol from Japan and Chinese Taipei in order to remove the injury to the domestic industry. The Authority recommends the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports has been compared with the weighted average non-injurious price of the domestic industry determined for the period of investigation.

55. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti dumping duy on all imports of Pentaerythritol falling under customs heading 2905.42 of chapter

29 of Customs Tariff Act, originating in or exported from Japan and Chinese Taipei . The anti-dumping duty shall be the the amount mentioned in Col.7

Description of goods	Specifications	Country of Origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pentaerythritol	Any grade	Chinese Taipei	Chinese Taipei	Any	Any	9220	MT	INR
Pentaerythritol	Any grade	Any	Chinese Taipei	Any	Any	9220	MT	INR
Pentaerythritol	Any grade	Chinese Taipei	Any	Any	Any	9220	MT	INR
Pentaerythritol	Any grade	Japan	Japan	Any	Any	25271	MT	INR
Pentaerythritol	Any grade	Any	Japan	Any	Any	25271	MT	INR
Pentaerythritol	Any grade	Japan	Any	Any	Any	25271	MT	INR

56. An appeal against the orders of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

57. The Authority may review the need for continuation, modification or termination of the definitive measure as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issued in this respect from time to time. No request for such a review shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party as per the time limit stipulated for this purpose.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.